संख्या:3/2023/10बीपी/35-1-2023/001-35-1099/25/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 16 मार्च, 2023

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लघु सिंचाई विभाग की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-29/2018/100बीपी/35-1-2018, दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 परियोजनाओं की रू. 33603.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5240.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 1934.12 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या- 10/2019/50बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 मई, 2019 द्वारा रू. 4415.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-17/2019/100बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा रू. 23947.00 लाख द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु कुल रू. 28362.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 6063.09 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या- 03/2021/15बीपी/35-1-2021, दिनांक 27 जनवरी, 2021 द्वारा रू. 8050.31 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 7418.97 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-12/2021/72बीपी/35-1-2021, दिनांक 02 अगस्त, 2021 द्वारा रू. 13046.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 3665.97 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-05/2022/36बीपी/35-1-2022/001-35-1099/25/2021, दिनांक 07 जुलाई, 2022 द्वारा कार्यों को पूर्ण करने हेतु विभागीय मांग के अनुरूप रू. 7946.44 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा माह जनवरी, 2023 तक रू0 2816.00 लाख का व्यय होना इंगित किया गया है।

2- एतद्द्वारा अनुमोदित 03 परियोजनाओं में से 01 परियोजना यथा **चेकडैम निर्माण** के कार्यों हेतु जी0एस0टी0 की दरों में वृद्धि के दृष्टिगत अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में रू. 134.39 लाख (रूपये एक करोड़ चौंतीस लाख उन्तालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2018, दिनांक 13 मई, 2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019, दिनांक 27 जनवरी, 2021, दिनांक 02 अगस्त, 2021 तथा 07 जुलाई, 2022 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से किया जायेगा और धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समय बद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे उक्त दिनांक से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
4. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2023 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का होगा। तद्नुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,34,39,000 (रूपये एक करोड़ चौंतीस लाख उन्तालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक-4575-02-800-04-82 लघु सिंचाई के अन्तर्गत चेकडैमों का निर्माण (के.100/रा.0-के.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकी सं. ई-5-199/दस-2022-2023 दिनांक 15 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:3/2023/10बीपी/35-1-2023/001-35-1099/25/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महा लेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महा लेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी।
7. जिलाधिकारी, झांसी।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
9. कोषाधिकारी, झांसी।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।